



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-03122024-259104  
CG-DL-E-03122024-259104

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4799]

नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 2, 2024/अग्रहायण 11, 1946

No. 4799]

NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 2, 2024/AGRAHAYANA 11, 1946

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 नवम्बर, 2024

का.आ. 5191(अ).—सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21वां) की धारा 79क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार एतद्वारा साइबर न्यायिक विज्ञान प्रयोगशाला, भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया टीम (सर्ट -इन), इलेक्ट्रॉनिक्स निकेतन, 6 सीजीओ परिसर, लोदी रोड, नई दिल्ली को भारत में निम्नलिखित कार्यक्षेत्र के साथ इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के परीक्षक के तौर पर अधिसूचित करती है, अर्थात:

- कंप्यूटर (मीडिया) न्यायिक विज्ञान जिसमें ड्रोन स्टोरेज मीडिया शामिल है और फ्लॉपी डिस्क ड्राइव को छोड़कर।
- मोबाइल उपकरण न्यायिक विज्ञान।
- सीसीटीवी न्यायिक विज्ञान मीडिया रिकवरी (वीडियो प्रमाणीकरण और संवर्धन को छोड़कर)।
- क्लाउड न्यायिक विज्ञान प्रक्रिया अभिगम प्रमाणीकरण टोकन और जब्त किए गए प्रदर्शों से पुनर्प्राप्त क्रेडेंशियल्स का उपयोग करते हुए साइबर न्यायिक विज्ञान प्रयोगशाला, सर्ट इन में की जाएगी।-

उपरोक्त अधिसूचना के साथ, पहले प्रकाशित दिनांक 9 अक्टूबर 2020 की गजट अधिसूचना संख्या का.आ. 3568(अ), असाधारण, भाग II-खंड 3-उप खंड (ii), को केंद्रीय सरकार द्वारा निरस्त किया जाता है।

[फा. सं. 2(4)/2020-साइबर सुरक्षा]

अभिषेक सिंह, अपर सचिव

**MINISTRY OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY**

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 27th November, 2024

**S.O. 5191(E).**—In exercise of the powers conferred by section 79A of the information Technology Act 2000 (21 of 2000) the Central Government hereby notifies **Cyber Forensic Laboratory, Indian Computer Emergency, Response Team (CERT-In), Electronics Niketan, 6 CGO Complex, Lodhi Road, New Delhi** as Examiner of Electronic Evidence within India, with the following scope, namely: -

- i. Computer (Media) Forensics including Drone Storage Media and excluding Floppy Disk Drive
- ii. Mobile Devices Forensics
- iii. CCTV Forensics Media Recovery (excluding Video Authentication and Enhancement)
- iv. Cloud Forensics will be carried out from premises of Cyber Forensic Laboratory, CERT-In using access authentication tokens and credentials recovered from seized exhibits.

With aforesaid notification, earlier published gazette notification No. S.O.3568(E) dated 9<sup>th</sup> October, 2020, Extraordinary, Part II- Section 3 - Sub-section (ii), is rescinded by central Government.

[F. No. 2(4)/2020- Cyber Security]

ABHISHEK SINGH, Addl. Secy.